

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:-अटल सेवा केन्द्र, सणपा मानजी

प्रकरण सं.:- 23/2018

दिनांक:- 18.5.18

क्रमांक:- लो.अदा. /2018 / 1072

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी सणपामानजी व भू.अ.नि. होडू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम सणपा फांटा भोमजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 में खाता संख्या में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सणपा फांटा भोमजी	49 50	256 / 164 172,264 / 173	माहिंगा पुत्र मोती	राहींगाराम पुत्र मोतीराम <u>शेष बदुस्तर</u>



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

दिनांक:- 18.5.18

क्रमांक:- लो.अदा. /2018 / 1072 - 1075

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राहींगाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट निवासी नया सणपा फांटा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।





उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी